HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 281/2024

Dedicated Freight Corridor Corporation Of India

----Appellant

Versus

Smt. Veena Phalke W/o Mr. Vijay Singh Chauhan,

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. R K Agarwal, Sr. Adv. with Mr. P C Sharma, Adv. Mr. Adhiraj Modi, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Ashwani Kumar Chobisa, Adv. Mr. Priyansha Gupta, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

26/08/2025

अंतरिम आदेश पर दोनों पक्षों को सुना गया, अभिलेख का अवलोकन किया गया।

यह विवादरहित है कि अपीलार्थी की रेल परियोजना के लिए प्रत्यर्थी संख्या–1 की अचल संपत्ति अवाप्त की गई थी, जिसके संबंध में दिनांक 27.10.2017 को सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), अजमेर द्वारा मुआवजा राशि तय की गई थी, जिससे असंतुष्ट होकर आर्बिट्रेटर Dedicated Freight Corridor Corporation Of India रेल परियोजना एवं संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर उनके द्वारा दिनांक 30.09.2019 को आदेश पारित किया गया तथा दिनांक 27.10.2017 के मुआवजा राशि के अवार्ड को यथावत रखा गया। इस आदेश दिनांक 30.09.2019 के विरूद्ध धारा 34 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो अपर जिला न्यायाधीश क्रम–1, अजमेर द्वारा दिनांक 03.11.2023 को निस्तारित करते हुए निम्न आदेश पारित किया:–

''आवेदनकर्ता/प्रार्थिया श्रीमती वीणा फालके विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी, भूमि अवाप्त अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर व डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, अजमेर अन्तर्गत धारा 34 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम स्वीकार कर सक्षम अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2017 व आर्बिट्रेटर डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर रेल परियोजना द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.09.2019 को अपास्त किया जाकर अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थिया की अवाप्त शुदा भूमि 0.0049 व 0.0079 हैक्टेयर का आवासीय व भवन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के प्रकाश में मुआवजा राशि तत्समय लागू व्यावसायिक मार्केट दर से भूमि अवाप्ति अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुसार सोलेशियन मनी एवं 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से तथा अनुसूची 2 के अनुसार पुर्नवास नीति 2007 के प्रावधानों के अनुसार सहायता राशि व अन्य परिलाभ दिये जावें।''

आदेश दिनांक 03.11.2023 के माध्यम से जो आदेश दिया गया था, उस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 का निवेदन है कि प्राधिकृत/सक्षम अधिकारी एवं (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा नये सिरे से कोई मुआवजा राशि तय नहीं की गई है और उनके द्वारा निष्पादन कार्यवाही विद्वान अपर जिला न्यायाधीश क्रम–1, अजमेर के यहां प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि दिनांक 03.11.2023 के आदेश के माध्यम से न्यायालय द्वारा विपक्षी को नये सिरे से मुआवजा राशि तय करने का आदेश दिया गया। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि यह मुआवजा राशि विद्वान अपर जिला न्यायाधीश क्रम–1, अजमेर द्वारा तय नहीं की जा सकती है। उठाया गया प्रश्न गंभीर व विचार योग्य है, जिस पर दोनों पक्षों को विस्तृत रूप से सुना जाना आवश्यक होगा।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 को निर्देश दिया जाता है कि आदेश दिनांक 03.11.2023 की पालना में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत किया हो, अन्य कोई कार्यवाही की हो, इस संबंध में विवरण शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत करें। यह भी अवगत कराया गया है कि मूल रूप से निर्णीत मुआवजा राशि 12,12,632/–रूपये सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में जमा है, वह राशि प्रत्यर्थी संख्या–1 बाद रसीद प्राप्त करने का अधिकारी है और यह स्पष्ट किया जाता है कि यह राशि प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा प्राप्त किये जाने से उसके अधिकार किसी भी रूप में समाप्त नहीं होंगे और कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विद्वान अपर जिला न्यायाधीश क्रम–1, अजमेर के न्यायालय में निष्पादन कार्यवाही लंबित है, जिसके संबंध में यह बताया गया है कि मुआवजा राशि उनके द्वारा तय की जा रही है, उनकी अधिकारिता के संबंध में गंभीर प्रश्न उठाये गये हैं, अतः ऐसी स्थिति में आगामी सुनवाई की तिथि तक ऐसी निष्पादन कार्यवाही को स्थगित रखा जाता है।

प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से उपरोक्तानुसार आदेशित विवरण के बाबत शपथ–पत्र पेश होने पर आगामी सुनवाई हेतु प्रकरण दिनांक 23.09.2025 को पुनः न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma/81